कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली,जिला—बिलासपुर(छ.ग.)

शिक्षा कर्मी वर्ग —3 की भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक/शि.क.भ./स्था./2011 मुंगेली ,दिनांक 10.06.2011

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23.06.2011

छत्तीसगढ़ शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र. 3719(2)/पंग्राविवि./22/2011/476/रायपुर दिनांक 28.04.2011 एवं छ.ग. पंचायत शिक्षा कर्मी(भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम—2007 यथा संशोधित तथा समय—समय पर प्रकाशित संबंधित नियमों के अधीन जनपद पंचायत मुंगेली की शालाओं में शिक्षा कर्मी वर्ग—3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :—

क	संकाय/विषय समूह का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार				(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या				(स) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग के लिये आरक्षित पदों की संख्या				(द) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या				(इ) कॉलम (अ) में दर्शाये गये रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिये पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	बैकला पद विज्ञान	0	0	06	0	0	0	03	0	0	0	02	0	0	0	01	0	0	0	0	0
2	नवीन पद विज्ञान	04	03	02	02	01	01	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	02	02	01	01
3	ग्रंथपाल	03	01	02	01	01	0	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	01	01	01	01
	योग :—	**07**	**04**	**10**	**03**	**02**	**01**	**05**	**01**	**01**	**0**	**02**	**0**	**01**	**0**	**01**	**0**	**03**	**03**	**02**	**02**

टीप :— विभागीय नियम एवं शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर के वेबसाइड www.zpbilaspur.gov.in एवं जनपद पंचायत मुंगेली के कार्यालयीन अभिलेखों एवं नोटिस बोर्ड में देखी जा सकती है ।

1. उपरोक्त रिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर से प्राप्त रिक्त पदों के आधार पर है, रिक्त पदों की संख्या घट —बढ़ सकती है ,पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिये जनपद पंचायत का निर्णय अंतिम होगा ।
2. नवीन स्वीकृत पदों का आरक्षण रोस्टर के पूर्व में समाप्त बिंदु के पश्चात् किया गया है ।

विभागीय नियम एवं शर्ते :—

01. वेतनमान —3800—100—5800 (समय—समय पर शासन द्वारा पुनरीक्षित आदेशानुसार)

02. पात्रता की शर्ते :— आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं : उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.एड.परीक्षा उत्तीर्ण उपाधि धारक न मिलने पर बी.एड. उपाधि धारी को प्राथमिकता दी जाएगी डी.एड. बी.एड. की अभ्यार्थी नहीं होने की स्थिति में शैक्षणिक अर्हता में छूट मानी जावेगी ।

2.1 ग्रंथपाल शिक्षा कर्मी वर्ग 03 के पद हेतु उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं एवं पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र /डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा के अभ्यार्थी नहीं मिलने पर बी.लिब अभ्यार्थी को पात्रता दी जावेगा ।

2.2 आवेदक को छ.ग.राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

2.3 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

2.4 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

2.5 छ.ग.के किसी भी जिले का जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी जिसके लिये नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

2.6 शिक्षा कर्मी के पद पर चयन के समय पिछड़ा वर्ग , अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीद्वारों को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

2.7 शिक्षा के पद पर आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त प्रमाण पत्र जीवित(वेध) होना अनिवार्य होगा । आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते बाद में अभ्यार्थी के द्वारा तिथि , विषय, वर्ग ,विकलांगता आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।

2.8 नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्तो में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अद्यत नियम दिशा निर्देश का अनुपालन किया जावेगा ।

2.9 विकलांग अभ्यार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 40 प्रतिशत एवं उससे उपर के अभ्यार्थीयों को नियमानुसार लाभ दिया जायेगा ।

03. आयु सीमा दिनांक 01.01.2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो । आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी ।

04. **भर्ती का तरीका :–**

4.1 शिक्षा कर्मी वर्ग 03 की नियुक्ति के लिए 10 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक , 12 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा डी.एड./बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक से प्राप्त मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा ।

4.2 चयन हेतु अभ्यार्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनपद पंचायत का होगा । एवं शिक्षाकर्मियों की पदस्थापना जनपद पंचायत क्षेत्र के शालाओं में रिक्तियों /आवश्यकताओं के आधार पर जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी । पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

4.3 चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4.4 चयनित उम्मीद्वार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा ।

4.5 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

4.6 चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर की जावेगी एवं सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

4.7 भूतपूर्व सैनिक से आशय यह है कि आवेदक स्वयं भारतीय सैन्य सेवाओं में कार्य किया हुआ होना चाहिये । भूतपूर्व सैनिक के अभ्यार्थी नहीं मिलने पर उसी प्रवर्ग के अनारक्षित पदों से पूर्ति की जावेगी ।

4.8 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिये उसके पश्चात् प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जावेगा ।

4.9 छ.ग.शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी शासन /केन्द्र शासन/स्थानीय निकाय/अन्य विभाग द्वारा अवचार का दोषी/निलंबित/बर्खास्त या ब्लेक लिस्टेड किए गए व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

4.10 किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण पत्र /दस्तावेज नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है अतः अभ्यार्थी अपने आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण पत्र संलग्न कर असत्य अभिकथन न करें । किसी भी समय चाहे नियुक्ति के पूर्व हो या नियुक्ति के पश्चात् आवेदन पत्र गलत अभिकथन/उद्घोषणा करना अथवा जांच में असत्य प्रमाण पत्र /दस्तावेज पाए जाने पर संबंधित अभ्यार्थी की दावेदारी /नियुक्ति निरस्त कर आरक्षी केन्द्र में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा ।

04. आवेदन पत्र का प्रारूप – आवेदक का आवेदन पत्र कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित प्रारूप कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली के सूचना पटल एवं जिला कार्यालय बिलासपुर के सूचना पटल एवं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है । साथ ही जिले की वेबसाइट www.zpbilaspur.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

05. आवेदन पत्र जमा करने की विधि – आवेदन उपरोक्त निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप को स्पष्ट रूप से भरते हुए वांछित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से लिफाफे के ऊपर एवं अंदर में शिक्षा कर्मी वर्ग 03 विषय .... के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली जिला बिलासपुर (छ0ग0) के नाम से प्रेषित किया जा सकता है । आवेदन पत्र के साथ 100 रूपये का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली के नाम से लगाना अनिवार्य होगा । आवेदन पत्र के साथ 05 रू. का टिकट (रजिस्टर्ड) लगा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र रजिस्टर्ड /स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 23.06.2011 तक ही स्वीकार किये जायेंगे । इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा । विज्ञापन जारी होने के दिनांक से पहले प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत मुंगेली